



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बीकानेर, सी-38, सादुलगंज,

बीकानेर (राजस्थान) - 334002

Project Implementation Unit- Bikaner, C-38, Sadulganj,
Bikaner (Rajasthan) - 334002, फ़ोन / Tel.: 0151-2224477

ई-मेल : bikaner@nhai.org, nhaibikaner@gmail.com



“सड़कें ही नहीं, राष्ट्र का निर्माण भी”

दिनांक 30.04.2024

क्रमांक : 16003 / 1 / 2017 / Forest (BM-10) / 2024--25 / 2928

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
एफसीए राजस्थान जयपुर

विषय : Diversion of 11.8259 hectare Forest Land for Upgradation to 2 lane with paved shoulder/ 4 lane of Khajuwala - Poogal Section (Design chainage 0+000 to 30+812) and Poogal - Dantour - Jaggasar - Gokul - Goddu- Ranjitpura - Charanwala - Naukh - Bap section of NH-911 (Design chainage 1+430 to 182+725) (Total Length 212.107 Km) under Bharatmala Pariyojna in the state of Rajasthan on Hybrid Annuity Mode:
Proposal No. : FP/RJ/ROAD/41036/2019

महोदय,

भारतमाला परियोजना पैकेज 10 खाजूवाला पूगल बाप खण्ड के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में 11.8259 है. वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक जारी की गई है सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के कम में श्रीमान जिला कलक्टर बीकानेर ने 8.0285 है. वन भूमि का एफआरए प्रमाण पत्र जारी किया था।

दिनांक 23.04.2024 को Additional Chief Secretary GoR वन की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है कि जिला कलक्टर बीकानेर के द्वारा केवल 8.0285 है. भूमि का एफआरए प्रमाण पत्र जारी किया गया है तथा शेष 3.7974 है. भूमि का एफआरए प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। तो फिर भाराप्र्रा से कोई भी कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। तथा जिला कलक्टर बीकानेर द्वारा जारी 8.0285 है. वन भूमि एफआरए प्रमाण पत्र ही इस प्रकरण में अंतिम माना जावे।

यहां यह उल्लेखनीय है कि भारतमाला परियोजना पैकेज 10 खाजूवाला बाप पूगल खण्ड के वन भूमि प्रस्ताव के द्वितीय स्टेज की स्वीकृति कार्यवाही जारी की जाये क्योंकि उक्त प्रकरण में भाराप्र्रा द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है तथा जिला कलक्टर बीकानेर द्वारा 8.0285 है. एफआरए प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है।

अतः उक्त प्रकरण में कृपया वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के द्वितीय स्टेज की स्वीकृति प्रदान करने का श्रम करावे।

भवदीय

प्रीति वंश

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- (1) क्षेत्रीय अधिकारी भाराप्र्रा जयपुर
- (2) मुख्य वन संरक्षक बीकानेर
- (3) उप वन संरक्षक इगानप स्टेज द्वितीय बीकानेर
- (4) उप वन संरक्षक इगानप स्टेज प्रथम छत्तरगढ़

परियोजना निदेशक/Project Director
भाराप्र्रा प.का.ई. बीकानेर/NHAI, PIU, Bikaner